XXX-Part.—21

3391/07
27/3/08

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक आय.एस.डी/ 1503 /94

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रेस्टीज एजुकेशन सोसायटी इन्दौर समिति जो 17/3-बी, ओल्ड पलासिया इन्दौर, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) के अधीन 25.01.94 को पंजीयित की गई है।

दिनांक पच्चीस माह जनवरी सन् १९९4

सत्य-प्रतिलिपि

25/1/94

(बी. एस. सोलंकी)
असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
इन्दौर संभाग, इन्दौर

श्रीमती शोभा मालवीय
समितियों के रजिस्ट्रार

GRPRJ—FS/56—11/92—20,000.

FOR PRESTIGE EDUCATION SOCIETY.

Authorised Signatory

कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं इन्दौर संभाग इन्दौर

कक्ष कमांक 302,सेटेलाइट भवन,कलेक्टोरेट परिसर,मोती तबेला, इन्दौर म0प्र0

कमांक / संशोधन /134 /2017 इन्दौर दिनांक– 25/04/2017

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव

1. वर्तमानः– प्रेस्टीज एजुकेशन सोसायटी इन्दौर
   17 / 3 बी, ओल्ड पलासिया इन्दौर
2. संशोधितः– प्रेस्टीज एजुकेशन सोसायटी इन्दौर
   2, एज्युकेशन एण्ड हेल्थ सेक्टर, योजना कमांक 54, इन्दौर

विषय– समिति के विधान में संशोधन के संबंध में (पंजीयन कमांक 1503 दिनांक 25.01.1994)।

संदर्भः– आपका संशोधन प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 10.03.2017

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त संशोधित ज्ञापन–विधान के नियम –02 समिति कार्यालय का पता, नियम–03(8) समिति के उद्देश्य, व नियम –14(अ) न्याय मण्डल के अधिकार व कर्तव्य , नियम– 15 अध्यक्ष के अधिकार , नियम 17 (ई) सचिव के अधिकार , नियम –18 कोषाध्यक्ष के अधिकार व नियम–19 बैंक खाता में किये गये संशोधन को अनुमोदन किया जाता है।

कृपया संशोधित नियमों का कड़ाई से पालन करें ।

सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाऐं इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.

प्रारूप क्रं.१

(देखिये नियम ३)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

मानव समाज के समस्त वर्गों के शैक्षणिक उत्थान की भावना से प्रेरित होकर एक शिक्षण समिति के गठन का निश्चय किया गया । तदनुसार इस समिति की नियमावली बनाकर मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट,१९७३ के अन्तर्गत पंजीयन करवाकर वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया ।

१. समिति का नाम : **प्रेस्टीज एजुकेशन सोसायटी इन्दौर**

२. समिति का पंजीयत कार्यालय : १७/३-बी, ओल्ड पलासिया, इन्दौर ४५२ ००१

३. समिति के उद्देश्य : समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(अ) भारत में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश राष्ट्रीयता के भेदभाव बिना विविध प्रकार की शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।

(ब) उपरोक्त व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करना :-

(१) विविध प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।

(२) समाज, शिक्षण संस्था व शिक्षार्थियों के हितार्थ सभा, सम्मेलन, व्याख्यान आदि आयोजित करना ।

(३) बिना राजनैतिक, धार्मिक व जातिगत भेद के जनकल्याण के अन्य कार्य जैसे नेत्रदान शिविर, असहाय सहायता, प्राकृतिक विपदा में सहायता आदि कार्य करना ।

For Prestige Education Society,

Authorised Signatory.

For Prestige Education Society,

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL

(४) शिक्षण संस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु पुस्तकालय, खेल व्यवस्था, परीक्षा संचालन आदि कार्य करना ।

(५) स्कालरशिप, पुरस्कार आदि देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना ।

(६) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना ।

(७) सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों, विद्वानों व संस्था के पदाधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा हेतु सम्मान करना, भेंट देना व उपाधि देना ।

(८) विभिन्न विधाओं की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रो, परीक्षा केन्द्रो, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर शिक्षण का प्रचार प्रसार करना ।

(९) संस्था के उद्देश्यों का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु सदस्यों, संस्थाओं अथवा बैंक से विभिन्न ऋण प्राप्त करना व चुकाना।

४. समिति के प्रबन्ध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबन्ध भार प्रन्यासी मण्डल (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) को सौपा गया है जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :-

क्रं.	नाम व पिता का नाम	पता	धन्धा	पद
१	श्री नेमनाथ पिता श्री खजानशाह जैन	१७-बी/३, ओल्ड पलासिया,इन्दौर	उद्योगपति	अध्यक्ष
२	श्री डेविश पिता श्री नेमनाथ जैन	,, ,,	,,	उपाध्यक्ष
३	श्री डिपीन पिता श्री नेमनाथ जैन	,, ,,	,,	कोषाध्यक्ष
४	श्री राकेश पिता	एन-७२ अनूप इन्दौर		सचिव

Prestige Education Society

Authorised Signatory.

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

क्र.	नाम व पिता का नाम	पता	धन्धा	पद	हस्ताक्षर
५	डा.एम.एल.कोठारी पिता मोतीलाल कोठारी	११७ कंचनबाग इन्दौर	डायरेक्टर सेवानिवृत्त	सचिव	हस्ताक्षरित
६	श्री पी.के.व्यास पिता विद्याधर व्यास	१८ हिमशिखा अपार्ट. शंकर नगर, इन्दौर	नौकरी	सदस्य	
७	श्री एम.के.पाटनी पिता केसरीमल पाटनी	१०३/सी नेमीनगर इन्दौर	नौकरी	सदस्य	
८	श्री वी.वी.दंडवते पिता वी. दंडवते	२२ माणकचौक इन्दौर	वकील	सदस्य	
९	श्री के.सी.बेताला पिता ... चंद बेताला	८८ जानकी नगर इन्दौर	व्यापारी	सदस्य	
१०	... पिता ...	१३/८ साउथ तुकोगंज इन्दौर	डाक्टर	सदस्य	
११	श्री एस.एल.जैन पिता ... जैन	द्वारा प्रेस्टीज जावरा कम्पाउण्ड,इन्दौर	व्यापारी	सदस्य	

५. समिति का प्रबन्ध समिति द्वारा पारित "प्रबन्ध विनियमों" के अनुसार किया जावेगा । समिति इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसाकि मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम १९७३ (सन् १९७३ का ४४) की धारा-५ की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है ।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे है उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार प्रेस्टीज इंस्टीट्युट आफ मेनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च का गठन करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है ।

For Prestige Education Society,
Authorised Signatory.

For Prestige Education Society,
Authorised Signatory.

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम व पते	हस्ताक्षर
१	श्री नेमनाथ जैन १७-बी/३, ओल्ड पलासिया,इन्दौर	सही
२	श्री डेविश जैन १७-बी/३, ओल्ड पलासिया,इन्दौर	
३	श्री डिपीन जैन १७-बी/३, ओल्ड पलासिया,इन्दौर	
४	श्री राकेश जैन एन-७२ अनूप,इन्दौर	
५	डा.एम.एल.कोठारी १११ कंचनबाग इन्दौर	
६	श्री पी.के.घोष हिरण्यिवा अपार्ट. शंकर नगर, इन्दौर	
७	श्री के.पाठक १७३/सी ... नगर इन्दौर	
८	श्री पी.सी.दडवते २२ माणक चौक इन्दौर	
९	श्री के.सी.बेताला ८८ जानकी नगर इन्दौर	
१०	डा.निशा यशलहा १३/८ साउथ तुकोगंज इन्दौर	
११	श्री एस.एल.जैन द्वारा प्रेस्टीज जावरा कम्पाउण्ड,इन्दौर	सही

For Prestige Education Society,

सत्यप्रतिलिपि

Authorised Signatory.

साक्षी, नाम, पता, हस्ताक्षर

For Prestige Education Society

(बी. एस. सोलंकी)
अति. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ इन्दौर संभाग
इन्दौर

Authorised Signatory

पी. राजगोपालन
...
पाटनीपुरा ... नगर
... इन्दौर (म.प्र.)

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL

जा.क्र./1995/10
11/6/10

संशोधित नियमावली

:: समिति के प्रबन्ध विनियम::

१. संस्था का नाम : प्रेस्टीज एजुकेशन सोसायटी, इन्दौर

२. संस्था का पंजीयत कार्यालय : १७/३-वी, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (मप्र) ४५२००१

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत रहेगा ।

संस्था का स्वरूप : यह संस्था अलाभकारी (नान प्राफिट) संस्था होगी परन्तु

(१) संस्था को विधिवत चलाने के दौरान यदि संस्था में कोई बचत होती है तो उसका उपयोग केवल संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में किया जा सकेगा ।

(२) संस्था में यदि हानि होती है तो उसकी पूर्ति सदस्यता शुल्क, अन्य आय, दान, ऋण आदि से की जा सकेगी ।

४. समिति के उद्देश्य : समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

(अ) भारत में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश राष्ट्रीयता के भेदभाव बिना विविध प्रकार की शिक्षा सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।

(ब) उपरोक्त व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करना :-

(१) विविध प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।

...२

For Prestige Education Society,

For Prestige Education Society,

PRESTIGE PUBLIC SCHOOL INDORE 4010666 4016665

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

(२) समाज, शिक्षण संस्था व शिक्षार्थियों के हितार्थ सभा, सम्मेलन, व्याख्यान आदि आयोजित करना ।

(३) बिना राजनैतिक, धार्मिक व जातिगत भेद के जनकल्याण के अन्य कार्य जैसे नेत्रदान शिविर, असहाय सहायता, प्राकृतिक विपदा में सहायता आदि कार्य करना ।

(४) शिक्षण संस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु पुस्तकालय, खेल व्यवस्था, परीक्षा संचालन आदि कार्य करना ।

(५) स्कालरशिप, पुरस्कार आदि देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना ।

(६) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना ।

(७) सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों, विद्वानों व संस्था के पदाधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा हेतु सम्मान करना, भेंट देना व उपाधि देना ।

(८) विभिन्न विधाओं की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्रो, परीक्षा केन्द्रो, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर शिक्षण का प्रचार प्रसार करना ।

(९) संस्था के उद्देश्यों का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु सदस्यों, संस्थाओं अथवा बैंक से विभिन्न ऋण प्राप्त करना व चुकाना।

५. सदस्यता : (क) संस्था के दो प्रकार के सदस्य होंगे - दानदाता सदस्य एवं साधारण सदस्य ।

Prestige Education Society,

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

६. सदस्यता प्राप्ति :

समिति के सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को संस्था के अध्यक्ष के नाम निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र समिति की प्रवन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा, जिसे उस आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा। प्रत्येक साधारण सदस्य को आवेदन पत्र के साथ १००/- रूपये तथा सदस्यता शुल्क के रूप में १२०/- रूपये प्रतिवर्ष देने होंगे ।

१० लाख रूपये या अधिक की राशि एक साथ संस्था को दान स्वरूप देने वाले सदस्य को दानदाता सदस्य कहा जायेगा । इन्हें संस्था में कुछ विशेष अधिकार होंगे । जिनका निर्णय न्यास मण्डल करेगा ।

७. सदस्य की योग्यता :

समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

१. वह भारत वर्ष का निवासी या भारत मूल का अनिवासी हो ।
२. आयु १८ वर्ष से कम न हो,
३. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो,
४. अन्य प्रकार से अयोग्य न हो व सचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
५. समाज सेवा की भावना से संस्था का सदस्य बनना चाहता हो ।

८. सदस्यता की समाप्ति :

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :

१. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या उसके पागल हो जाने पर ।
२. नियम ५(अ) में वताये अनुसार वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा न करने पर ।
३. संस्था के त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार हो जाने पर,

For Prestige Education Society. For Prestige Education Society. For Prestige Education Society.

४. चारित्रिक दोष होने या संस्था के हितों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर, जिसके निर्णय पारित करने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी ।

९. **सदस्य पंजी :**

संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी, जिसमें सदस्य का नाम, पता, सदस्यता शुल्क प्राप्ति, प्रवेश तिथि, सदस्यता समाप्ति आदि विवरण का उल्लेख होगा । पंजी सदैव पूर्ण रखी जावेगी ।

१० **सभायें व निर्णय :**

साधारण सभा :

(अ) संस्था के नियम ५ में दर्शाये समस्त सदस्यों की बैठक साधारण सभा कहलावेगी। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक की तिथि, स्थान व समय न्यास मण्डल निश्चित करेगा । सामान्यतः बैठक के १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जावेगी । बैठक का कोरम २/३ सदस्यों का होगा । कोरम के अभाव में उसी दिन आधा घण्टे पश्चात उसी स्थान पर साधारण सभा की बैठक होगी और उस बैठक में कोरम न रहने पर भी उपस्थित सदस्य प्रस्ताव पारित कर शेष सदस्यों को सूचित कर देंगे । संस्था की प्रथम साधारण सभा पंजीयन दिनांक से ३ माह के भीतर बुलाई जावेगी जिसमें न्यास मण्डल का गठन होगा। साधारण सभा की अध्यक्षता न्यास मण्डल के अध्यक्ष करेंगे । निर्णय बहुमत से लिये जावेंगे परन्तु विधान व विनियमों में परिवर्तन उपस्थित सदस्यों के २/३ मत से होगा ।

(ब) **न्यास मण्डल :** न्यास मण्डल की बैठक साधारणतः प्रतिमाह परन्तु तीन माह में एक बार अवश्य होगी । बैठक का एजेण्डा तथा बैठक की तिथि, स्थान व समय की सूचना सामान्यतः सात दिन पूर्व न्यास मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक

...५

For Prestige Education Society   For Prestige Education Society   For Prestige ...

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

है । बैठक न्यास मण्डल के अध्यक्ष के निर्देशानुसार न्यास मण्डल के सचिव आमंत्रित करेंगे। बैठक में कोरम १/२ सदस्यों का होगा । कोरम पूर्ति के अभाव में उसी स्थान पर आधा घण्टे बाद बैठक प्रारंभ होगी व कोरम के अभाव में भी न्यास मण्डल कार्य सम्पादित करेगा । निर्णय बहुमत से लिये जावेंगे ।

(स) **विशेष बैठक :** यदि संख्या के २/३ साधारण सदस्य लिखित रूप में बैठक हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण या न्यास मण्डल की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प बहुमत से पारित किये जायेंगे ।

११ **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :**

साधारण सभा से आशय समिति के समस्त वर्तमान दानदात व साधारण सदस्यों के समूह से है। साधारण सभा के निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

१. संस्था के विधान व प्रबन्ध विनियमों को पारित करना ।
२. संस्था के न्यास मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करना व रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ।
३. संस्था के वार्षिक बजट को स्वीकृत करना ।
४. संस्था के वार्षिक लेखों व प्रगति विवरण को स्वीकृत करना ।
५. संस्था के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
६. संस्था से संबंधित विधान में संशोधन करना ।
७. अन्य विषयों पर विचार करना, जो प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत हो ।

१२ **संस्था का न्यास मण्डल (बोर्ड आफ ट्रस्टीज):**

समिति की चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रबन्ध करने एवं संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के नियमित प्रबन्ध के लिये एक न्यास मण्डल (बार्ड आफ ट्रस्टीज) होगा और इस न्यास मण्डल के अधिकतम ११ सदस्य होंगे, जो व्यक्तिगत रूप से न्यासी कहे

For Prestige Education Society, For Prestige Education Society,

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL

जावेंगे। न्यास मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति संस्था के सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत चुनाव पध्दति द्वारा की जावेगी ।

संस्था के पदाधिकारी :

न्यास मण्डल अपने न्यासियों में से निम्नांकित पदाधिकारियों का बहुमत प्रणाली से निर्वाचन करेगा -

अध्यक्ष	:	१
उपाध्यक्ष	:	१
सचिव	:	१
सहसचिव	:	१
कोषाध्यक्ष	:	१
सदस्य	:	६

१३ न्यास मण्डल का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा परन्तु वह कार्यकाल की समाप्ति पर फिर से चुनाव का पात्र होगा । न्यासी वनने के लिये सदस्य होना व सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

१४ **न्यास मण्डल के अधिकार व कर्तव्य :**

(अ) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, उनका प्रबन्ध करना व अन्य समस्त कार्य करना ।

(व) संस्था की चल व अचल संपत्ति की व्यवस्था करना, क्रय व विक्रय करना।

(ई) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा तैयार करना, उसका अंकेक्षण करवाना एवं प्रगति प्रतिवेदन के साथ न्यास मण्डल व साधारण सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना ।

For Prestige Education Society, For Prestige Education Society, For Prestige Education Society,

Authorised Signatory Authorised Signatory Authorised Signatory

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

(उ) शिक्षण संस्थाओं के निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की अवैतनिक या सवैतनिक नियुक्ति करना ।

(ए) कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान करना, करों का भुगतान करना व संस्था के समस्य व्ययों को करना ।

(प) न्यास मण्डल द्वारा स्वीकृत बैंकों में संस्था की राशि जमा करना एवं बैंक व ऋण खातों का संचालन करना । संस्था के धनादेशों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

(फ) संस्था के विधान में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर संस्था के सदस्यों की साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना ।

(म) संस्था के कार्यों के कुशल व त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक उपसमितियों का गठन करना, जैसे साक्षात्कार समिति, स्वागत समिति, निर्माण समिति आदि।

(व) अन्य आवश्यक कार्य करना जो संस्था के हित में हो एवं विधि अनुकूल हो: संस्था का वजट बनाना व साधारण सभा से स्वीकृत करवाना ।

(व) न्यास मण्डंल विशेष दशा में संस्था का वजट स्वीकृत कर सकेगा ।

१५. **अध्यक्ष के अधिकार :**

अध्यक्ष आवश्यकतानुसार न्यास मण्डल की बैठकों का आयोजन करेगा, उनकी अध्यक्षता करेगा व निर्णय पर हस्ताक्षर करेगा । अध्यक्ष को विचारार्थ विषयों पर निर्णयात्मक मत (कास्टीग वोट) देने का अधिकार होगा । विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष न्यास मण्डल की ओर से तत्काल निर्णय ले सकेगा व एक समय में १००००/- रूपये तक खर्च करने का अधिकारी होगा परन्तु उसकी जानकारी न्यास मण्डल को आगामी बैठक में देगा ।

१६ **उपाध्यक्ष के अधिकार :**

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग कर सकता है।

For Prestige Education Society, For Prestige Education Society,

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

समिति की साधारण सभा व न्यास मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करना व उनमें पारित प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना ।

१७ **सचिव के अधिकार :**

(अ) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथि, स्थान व समय पर न्यास मण्डल व साधारण सभा की बैठक बुलाना और समस्त प्रस्ताव व आवेदन पत्र विचारार्थ प्रस्तुत करना।

(ब) समिति के आय व्यय का लेखा वर्ष समाप्ति के दो माह में न्यास मण्डल व तीन माह में साधारण सभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना ।

(स) संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना व उन पर हस्ताक्षर करना ।

(द) संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर न्यास मण्डल को सूचना देना ।

(ई) संस्था के किसी कार्य के लिये सचिव एक समय में रूपये १०००/- तक खर्च करने का अधिकार होगा परन्तु ऐसे किये गये व्यय की सूचना न्यास मण्डल की आगामी बैठक में देना आवश्यक है ।

१७अ **सह-सचिव के अधिकार :**

सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना ।

१८ **कोषाध्यक्ष के अधिकार :**

"समिति की धनराशि का पूर्ण व विधिवत लेखा पुस्तकों में हिसाब रखना, बैंक खातों की व्यवस्था करना एवं प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत मदों पर सचिव या अध्यक्ष की लिखित स्वीकृति होने पर व्यय करना । कोषाध्यक्ष विविध व्ययों हेतु अधिकतम ५०००/- रूपये अपने पास रख सकेगा । शेष राशि तत्काल बैंक खाते में जमा करा देना होगी ।

For Prestige Education Society,
Authorised Signatory

For Prestige Education Society,

For Prestige Education Society,

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

१९ **वैक खाता :**

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित वैक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण कोषाध्यक्ष या सचिव, या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा और चेक द्वारा रूपये दो हस्ताक्षरों से निकाले जावेंगे । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये ५०००-०० रहेंगे ।

२० **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :**

अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से १४ दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर न्यास मण्डल की सूची भेजी जावेगी तथा धारा २८ के अन्तर्गत संस्था एवं इकाइयों का परीक्षित लेखा भेजा जायेगा ।

२१ **सं शो ध न :**

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के २/३ मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

२२ **वि घ ट न :**

संस्था का विघटन साधारण सभा में सदस्यों के ३/५ मत से किया जा सकेगा । विघटन के पश्चात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शेष सम्पत्ति प्रेस्टीज चेरिटेबल फाउण्डेशन नामक संस्था को सौपा जायेगा । इस सम्बन्धी समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

२३ **संपत्ति :**

संस्था की समस्त चल व अचल संपत्ति संस्था के नाम रहेगा । संस्था की अचल संपत्ति रजिस्ट्रार आफ फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरित नही की जा सकेगी ।

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS

२४ **वैक खाता :**

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित वैक या पोस्ट आफिस में रखी जायेगी एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी ।

२५ **पंजीयक व्दारा बैठक बुलाना :**

संस्था के पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक वैठक या न्यास मण्डल की वैठक न वुलाये जाने पर या अन्य प्रकार आवश्यक होने पर पंजीयक को संस्था की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह वैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

विवाद

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा में बहुमत प्रणाली से उसे सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो अध्यक्ष ऐसा विवाद निर्णय हेतु पंजीयक के पास भेज सकेगा । पंजीयक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

संस्था में यदि अनियमितता हुई है एवं सदस्यों द्वारा निरन्तर कार्य में बाधा निर्माण की जाती है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह प्रबन्ध समिति को भंग कर दे तथा प्रशासक नियुक्त कर दें । उचित स्थिति का निर्माण हो जाने पर साधारण सभा की वैठक आमंत्रित कर उसके पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन कराने के लिये प्रशासक उत्तरदायी होगा। ऐसी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । संस्था को पंजीयत नियमावली के अधीन निर्मित नियमों व उपनियमों की व्याख्या सम्वन्धी विषयों पर पंजीयक द्वारा दी गई व्याख्या अन्तिम होगी और इसका पालन संवंधित पक्षों के लिये अनिवार्य होगा ।

सत्यप्रतिलिपि

(बी. एस. सोलंकी)
अति. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर सम्भाग
इन्दौर

अध्यक्ष
प्रेस्टीज एजुकेशन सोसायटी, इन्दौर

PRINCIPAL
PRESTIGE PUBLIC SCHOOL
DEWAS